भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 103A/2018-19

मंगल सरदार **बनाम** गणेश सरदार

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13.11.18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 3084 दिनांक 29.09.18 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 103A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता मंगल सरदार पिता स्व० खेपा सरदार ग्राम–नरसिंहपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता गणेश सरदार पिता श्री घासीराम सरदार, ग्राम–बासुदेवपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बासुदेवपुर	284	03	97	0.14.72एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से दर्ज भूमि है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 0.14.72एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.31.28 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'भूमिज' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.14.72एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।